

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ 584

दिनांक 26/06/2018

आदेश

निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सामान्य स्केल) के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	कैलाश चन्द यादव	पीएचसी गण्डाला, अलवर	सीएचसी बहरोड, अलवर	विरेन्द्र यादव के स्थान पर
2	विरेन्द्र यादव	सीएचसी बहरोड, अलवर	पीएचसी गण्डाला, अलवर	कैलाश चन्द यादव के स्थान पर
3	रमेशचन्द्र	पीएचसी कुआ, डूंगरपुर	पीएचसी कसारवाडी, बांसवाडा	रिक्त पद पर
4	छीतरमल सैनी	पीएचसी छापोली, झुंझुनू	सीएचसी गांधीवाडी, हनुमानगढ	रिक्त पद पर
5	रघुनाथ प्रसाद रैगर	पीएचसी डांसरोली, सीकर	बीसीएमओ, चूरू	रिक्त पद पर

- 1 संविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- 2 कर्मचारी का स्थानान्तरण भूलवश दो बार होने की स्थिति में प्रथम बार किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति की जावे।
- 3 ऐसे संस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावे। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिए आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।
- 4 यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं हैं, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
- 5 रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
- 6 उपरोक्त शर्तों (1 से 5) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6 संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7 संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
- 8 निदेशक, जनस्वास्थ्य/प0क0/एड्स/आईईसी/ई.एस.आई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
- 9 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 10 संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
- 11 संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- 12 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 13 संबंधित उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजस्थान।
- 14 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 15 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/संबंधित अधिकारी, राजस्थान।
- 16 संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान।
- 17 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 18 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

(निदेशक)